

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, आरखापड, राँची।

दिनांक-18.10.2023

सेवा में,

MS ANAND UTILITIES PRIVATE LIMITED,
DIRECTOR RAJIV KUMAR MURARK,
E-53, EMC PLOTS , SURVEY PLOT NO- 354 (PART) NEAR 7TH ,
PHASE INDUSTRIAL AREA, , ADITYAPUR,
DISTRICT :- SARAIKELA- KHARSAWAN.

विषय:- मौजा-HATIYADIH, प्लाट नं0-E-53 , EMC PLOTS , SURVEY PLOT NO- 354 (PART), खाता नं0-81, वार्ड नं0-N/A, थाना-THANA NO :- 60, जिला-सरायकेला-खरसावाँ में निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित फैक्ट्री भवन के स्थल की भौतिक की जाँच प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-354 दिनांक-13.10.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. निर्मित फैक्ट्री के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउण्ड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री के चारों तरफ अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 150mm डायावाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं दो-दो अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. फैक्ट्री भवन के गोदाम, स्टोर एवं गैस बैंक को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
5. औद्योगिक परिसर के जिन क्षेत्रों में गृष्म/ऑयल/कैमिकल का भंडारण अथवा उत्पादन का प्रस्ताव है, उन क्षेत्रों को Foam pourer सिस्टम से सुरक्षित रखा जाय।
6. औद्योगिक परिसर के अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 3 Kg/Centimeter square के दाब पर हर जग जलापूर्ति उपलब्ध रहे। इसके लिए शक्तिशाली परिंग की व्यवस्था की जाय।
7. फैक्ट्री के पूरे ऑफिस में एड्रेसेबल स्मोक डिटेक्टर विथ अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
8. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 2850 Lpm क्षमता का एक इलेक्ट्रिक पम्प तथा समान क्षमता एक डीजल पम्प स्टैण्ड बाय में रखा जाय।
9. 180 Lpm क्षमता का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
11. फैक्ट्री के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
12. फैक्ट्री की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
13. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय एवं मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. फैक्ट्री के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

16. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के 0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू तथा 25 के 0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
17. फैक्ट्री में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
18. फैक्ट्री भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 06 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
 - iii. Form Extinguisher 09 Ltr - 04 Nos.
 - iv. Fire Bitter - 08 Nos.
19. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
20. फैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
21. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में ट्रेवल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक न हो।
22. फैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
23. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
24. फैक्ट्री के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
25. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN
RAM



Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL
AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90b
e3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d
90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.10.19 10:10:32 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।